

2025/643

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

23.9.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
कमला बनाम सुनीता आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 45/ वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
11.08.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 11.09.2025 को पेश हो। 01.	
13/8/25	वकील प्रतिवादी ने दाए जार्जिन फाभिसल पेशी पेश किया गया। वकील प्रतिवादी ने पत्रावली में जारी पेशी दोटी किये जाने का निवेदन किया। वारीश व वारीश का दायिमल उपस्थित नहीं। वारीश को सम्मन जारी होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 19.8.2025 को पेश हो। 01.	
19.0.2025	नकुलप ए कलेक्टर व पास्थल PPU साहब द्वारा पत्रावली पेशी पेशी शीतलने पत्रावली पेशी पेशी दिनांक 23.9.2025 पेश हो	
23.9.2025	पत्रावली पेशी डूरी वकील वारी ने निवेदन किया कि वाद- पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में अतीत कराना चाहते हैं। आ वद- पत्र मौजूदा स्थिति में अतीत किया जाएगा है। पत्रावली नम्बर के का की जाकर का तरतीब तक्रमीर जाहाग दाखिल फर्द हो। 01.	Not press I 64 m 19/09/25

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

